प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश। 1400-71

पत्रांक :– एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0. / आशा / 2009–10 / 11 / दिनांक–25. 01..2010

विषय :–आशा द्वारा कार्य छोड़ कर चले जाने की स्थिति में, नवीन आशा के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आशा योजना अगस्त 2005 में आरम्भ की गयी थी ओर योजना के कियान्वयन को लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। दिनांक 23–24 दिसम्बर 2009 को पी0आई0पी0 के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला में विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों से चर्चा, क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आशाओं से चर्चा, तथा जनपदों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर ज्ञात हुआ है कि लगभग 5–6 प्रतिशत आशायें निम्न कारणों से क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहीं हैं–

1. आशायें कार्य छोड़ कर ऑगनवाड़ी, शिक्षा मित्र अथवा किसी अन्य नौकरी में चली गयीं है,उनके स्थान पर अब कोई आशा नहीं है।
2. कुछ आशायें ए0एन0एम0 / स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण कार्य नहीं कर पा रही है।
3. कुछ आशायें आर्थिक रूप से अत्याधिक सम्पन्न परिवारों से हैं ओर कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं।
4. कुछ आशायें कार्य करने के लिये इच्छुक नहीं है।

उपरोक्त कारणों का संज्ञान लेते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे है–

I. जनपद में लगभग 5–6 प्रतिशत ही आशायें होगी जो कार्य छोड़कर चली गयी होगीं। यदि ऐसी स्थित है तो आशा से संलग्न प्रारूप पर लिखित रूप में ले लिया जाये कि वह कार्य छोड़कर चली गयी है और अब कार्य करने की इच्छुक नही है। आशा के इस लिखित प्रारूप पत्र को क्षेत्रीय ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित किया जाये तदोपरान्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर करके पत्र की प्रति सामुदायिक / प्रास्वा0केन्द्र पर पत्रावली में सुरक्षित रखी जाये। ब्लॉक से इस तरह की आशाओं की सूची तैयार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यलय में प्राप्त कराई जाये तत्पश्चात् जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन करा कर नई आशाओं को रखने की कार्यवाही की जाये।

II. नई आशा के चयन के लिये शासनादेश सं01722 / 5–9–2005–9(277) / 84 दिनांक 23 अगस्त 2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाये। पूर्व में प्रधान द्वारा 3 महिलाओं के नामों में सर्वश्रेष्ठ महिला को आशा के रूप में चयन किया गया था।

अतः या तो पहले प्राप्त 3 नामों की सूची में से दूसरी को मौका दिया जाये अथवा ए0एन0एम0 अपने क्षेत्र में समूह बैठक कर 3 इच्छुक महिलाओं की नई सूची प्रधान को उपलब्ध करायें। प्रधान, ''ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति'' की बैठक आयोजित कर सर्वश्रेष्ठ महिला को आशा के रूप में चयन कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचित करे। प्रधान द्वारा चयन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आडिट/जॉच के लिये पत्रावली में सुरक्षित रखेंगे।

III. जो आशायें ए0एन0एम0/स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के सहयोग न मिलने के कारण कार्य नहीं कर रही हैं ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आशाओं/ए0एन0एम0 की बैठक में भाग ले कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से इस समस्या का निराकरण करवायें।ऐसी आशाओं को हटाने की कार्यवाही न की जाये।

IV. कुछ आशायें आर्थिक रूप से अत्याधिक सम्पन्न परिवार से हैं जो कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं, पहले उनसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्ता कर वस्तु स्थिति की जानकारी कर ली जाये और यदि वह कार्य करने में इच्छुक नहीं है तो वे लिखित रूप में इसे अवगत कराये। इस सम्बन्ध में वही कार्यवाही की जाये जैसा कि बिन्दु सं0-(I) में की गयी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से पत्र की प्रति समस्त सी.एच.सी./पी.एच.सी. के प्रभारी अधिकारियों को 1 सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त करा दें । ब्लॉकों से प्राप्त सूची (जनपद स्तर पर 5-6 प्रतिशत से अधिक न हो) पर जिला स्वास्थ्य समिति से माह मार्च 2010 से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। अनुमोदन प्राप्त कर माह अप्रैल 2010 तक नवीन आशाओं का चयन कर लिया जाये। जिला आशा नोडल अधिकारी/डिस्ट्रिक्ट कम्यूनिटी मोबिलाईज़र, ब्लॉकवार अनुमोदित सूचना को दिये गये प्रारूप पर माह मार्च के अन्त तक महानिदेशक परिवार कल्याण तथा महाप्रबन्धक कम्यूनिटी प्रोसिस को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नवीन आशाओं के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अलग से भेजे जायेंगे।

संलग्न-उपरोक्तनुसार

भवदीय

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव

पत्रांक :– एस.पी.एम.यू. / कम्यू0प्रो0. / आशा / 2009– 10 / 11 / दिनांक– 01..2010

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय आयुक्त उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक,परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
4. निदेशक एम.सी.एच. परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र उत्तर प्रदेश।

(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव